



# कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

'प्रथम तल' 85, राजपुर रोड, Email :- pccfuk@gmail.com Ph. No. 0135-2746934, 2741461, Fax-2741630, 2741462

पत्रांक 755 / 27-1 देहरादून, दिनांक : 04 मई, 2024।


## कार्यालय आदेश

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2024 को वनाग्नि नियंत्रण/रोकथाम हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया है कि वनाग्नि सत्र 2024 में वनाग्नि से अतिप्रभावित जिलों में वनाग्नि घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो रहे अन्य विभागीय सहयोग एवं समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु वन विभाग मुख्यालय पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाये।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारियों को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है :-

क्र0सं0	नोडल अधिकारियों का नाम	आवंटित जनपद	अभ्युक्ति
1	श्री बी0पी0 गुप्ता, प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड।	नैनीताल	वनाग्नि सत्र 2024 की अवधि तक
2	डॉ0 कपिल कुमार जोशी, प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड।	अल्मोड़ा	
3	श्री जी0एस0 पाण्डे, प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।	बागेश्वर	
4	श्री आर0के0 मिश्र, प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।	उत्तरकाशी	
5	श्री कपिल लाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड।	टिहरी	
6	डॉ0 विवेक पाण्डे, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव।	चमोली एवं रुद्रप्रयाग	
7	डॉ0 परागमधुकर धकाते, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।	हरिद्वार एवं देहरादून	
8	श्रीमती तेजस्वनी पाटिल, मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी।	ऊधमसिंहनगर एवं चम्पावत	
9	श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड।	पौड़ी गढ़वाल	
10	श्री संजीव चतुर्वेदी, मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी।	पिथौरागढ़	

उक्त अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जनपदों में स्थित वन प्रभागों में वनाग्नि घटनाओं के प्रबन्धन, प्रभावी नियंत्रण, अनुश्रवण जिला स्तर पर अन्य सहयोग समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार फील्ड भ्रमण भी किया जायेगा। इसके साथ ही यह भी अनुश्रवण किया जायेगा कि वनाग्नि नियंत्रण/प्रबन्धन में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शिथिलता/लापरवाही बरती जा रही है। उनके नाम भी इस कार्यालय तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तरखण्ड को उपलब्ध कराते हुये विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि इन पर उचित कार्यवाही की जा सके।


  
(डॉ० धनन्जय मोहन) 04/05  
प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF)  
उत्तराखण्ड।

संख्या :- 755 / 27-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
7. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित नोडल अधिकारी।

  
(डॉ० धनन्जय मोहन)  
प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF)  
उत्तराखण्ड।